क्षेत्रीय कार्यालय
# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.com, फोन / फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या : 756 /NOC-40/2016 दिनांक : 16/7/16

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः नवीन प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट– "पैलेस हाइट्स" प्लॉट नं0– जी0एच0–02बी, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रमोटर– मेसर्स रूद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट प्रा0लि0 के अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नवीन प्रस्तावित आवासीय परियोजना का अनापत्ति प्रमाण–पत्र की एक प्रति इस कार्यालय में दिनांक 27.06.16 को प्राप्त हुयी है। तत्क्रम में संदर्भित आवासीय परियोजना के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 11.07.16 को किया गया। संस्तुति सहित स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(प्रवीण कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

F:\JE Satya vijay\Group Housing Letter Pad

## आवासीय परियोजना के अनापत्ति आवेदन प्रपत्र पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचनाओं का सक्षिप्त विवरण एवं आख्या

| | | |
|---|---|---|
| 1. | उद्योग का नाम : | नवीन प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट– "पैलेस हाइट्स" प्लॉट नं0– जी0एच0–02बी, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रमोटर– मेसर्स रूद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट प्रा0लि0। |
| 2. | ऑन लाइन आवेदन की तिथि | 27.06.16 |
| 3. | अन्तिम सूचना प्राप्ति की दिनांक | तदैव। |
| 4. | स्थल सर्वेक्षण का दिनांक व समय | 11.07.16 |
| 5. | सर्वेक्षण के समय उपस्थित व्यक्ति का नाम व पद | श्री विजय शुक्ला। |
| 6. | (क) नई इकाई | नई इकाई (आवासीय परियोजना) |
| | (ख) कार्यरत इकाई विस्तारीकरण डायवर्सिफिकेशन / शिफ्टिंग | लागू नहीं। |
| 7. | प्रोजेक्ट की कुल लागत | परियोजना की कुल लागत लगभग रु0 299.64 करोड़ रुपये अंकित कि गई है। |
| 8. | लधु, मध्यम या वृहद | मध्यम। |
| 9. | प्रस्तावित स्थल | प्लॉट नं0– जी0एच0–02बी, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा। |
| | (क) औद्योगिक पत्र | |
| | 1. आवंटन पत्र | प्रस्तावित स्थल का आवंटन ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। |
| | 2. औधोगिक क्षेत्र का नक्शा | लागू नहीं। |
| | (ब) अन्य | |
| | 1. भू प्रयोग प्रमाण पत्र | तदैव। |
| | (धारा 143 जेड आर एल ए) | संलग्न। |
| | 2. सत्यापित लोकेशन मैप (निरीक्षण द्वारा) | संलग्न। |
| 10. | कार्यस्थल प्रतिबंधित क्षेत्र आगरा मथुरा या दूनवैली सीमा के अतंर्गत है या नहीं | नहीं। |
| 11. | 1. निकटतम आबादी की दूरी दिशा व जनसंख्या | संलग्न मैप के अनुसार। |
| | 2. 2 कि0मी0 त्रिज्या के क्षेत्र मे आबादी की दूरी या जनसंख्या | ग्राम जलपुरा। |
| | 3. 5 कि0मी0 त्रिज्या के क्षेत्र में आबादी की दूरी या जनसंख्या | ग्राम बिसरख। |
| 12. | हाइवे से दूरी | एन०एच०– 24 से लगभग 5.0 कि0मी0। |
| | 1. रेलवे से दूरी | दादरी रेलवे स्टेशन से लगभग 8.0 कि0मी0। |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. हाईटेन्शन लाइन से दूरी | – |
| | 3. धार्मिक सामाजिक स्थल, बाग बगीचे से दूरी एवं अन्य विवरण (2 कि0मी0 त्रिज्या क्षेत्र में) संबंधित से अनापत्ति | संलग्न मैप के अनुसार। |
| 13. | 1. मुख्य उत्पाद (मात्रा सहित)<br>2. सह उत्पाद (मात्रा सहित) | ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, बिल्टअप एरिया 168594.969 वर्ग मीटर।<br>लागू नहीं। |
| 14. | मुख्य कच्चे माल का विवरण (मात्रा सहित) | आवासीय परियोजना हेतु बिल्डिंग मैटीरियल्स। |
| 15. | प्रस्तावित उत्पादन तिथि | अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात। |
| 16. | जल प्रदूषण स्रोत एवं रोकथाम की व्यवस्था लागत सहित व्यवस्था की उपयोगिता | आवेदन पत्र एवं परियोजना रिपोर्ट के अनुसार हाउसिंग परियोजना के संचालन में कुल 498 के0एल0डी0 जल का प्रयोग किया जायेगा, जिसमें 343 के0एल0डी0 फ्रेश वाटर का प्रयोग किया जायेगा। जिससे लगभग 408 के0एल0डी0 सीवरेज उत्प्रवाह जनित होगा। जिस को एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण के उपरान्त फलशिंग, गार्डनिंग एवं लैण्ड स्कैप में पुनः प्रयोग किया जायेगा । प्रस्तावक द्वारा 500 के0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 की स्थापना का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार वाटर मैनेजमेंट के रूप में शुद्धिकृत उत्प्रवाह का उपरोक्तानुसार फलशिंग, हार्टिकल्चर, कूलिंग एवं लैण्ड स्कैपिंग में प्रयोग करने के उपरान्त शेष शुद्धिकृत उत्प्रवाह को पब्लिक सीवर के माध्यम से निस्तारित किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावक द्वारा एस0टी0पी0 तथा परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तकनीकी प्रस्ताव संलग्न नहीं किया गया है। |
| 17. | वायु प्रदूषण स्रोत एवं रोकथाम की व्यवस्था लागत सहित व्यवस्था की उपयुक्तता | हाउसिंग परियोजना के संचालन हेतु बोर्ड निर्देशों के अधीन एक्झास्ट पाइप एवं एकास्टिक एनक्लोजर के साथ 750 के०वी०ए० के चार डी0जी0 सेट की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। |
| | चिमनी की ऊंचाई एवं वायु प्रदूषण संयत्र का नाम | उपरोक्त डी0जी0 सेटों पर बोर्ड मानकों के अनुरूप छततल से 6 मीटर ऊँचाई के एग्झास्ट पाइप को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। |
| 18. | (क) हैजार्डस केमिकल्स के नाम<br>भण्डारण हैण्डलिंग, उत्पादन आदि | डी0जी0 सेट से जनित यूज्ड आयल को प्राधिकृत रिसाइकिलर के माध्यम से निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। |
| | (ख) हैजार्डस अपशिष्ट की मात्रा एवं निस्तारण | प्रस्ताव के अनुसार परियोजना के संचालन से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट 2794.36 किलोग्राम/दिन का निस्तारण एम0एस0डब्लू0 रुल्स–2000 के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है तथा 3958 कि0ग्रा0/दिन एस0टी0पी0 स्लज जनित होगा, जिसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जायेगा। |
| 19. | (क) क्राईसिस मैनेजमेंट प्लान/रिअसेसमेंट/सेफ्टी रिपोर्ट | प्रस्तावक द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान का संक्षिप्त विवरण आवेदन पत्र में उल्लिखित किया गया है। |
| | (ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्याँकन आख्या | इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रेषित नहीं की गई है। |
| 20. | उद्योग एक्शन प्लान के अन्तर्गत है या नहीं | नहीं। |
| 21. | हरित पट्टिका का प्रस्ताव | प्रस्तुत सूचनाओं के अनुसार परियोजना में मानको के अनुरूप 15069.67 वर्ग मीटर हरित पट्टिका का विकास किया जाना प्रस्तावित है। |
| 22. | शपथ पत्र दिया गया है अथवा नहीं | नहीं। |
| 23. | कार्यरत इकाईयों की अनुपालन आख्या | प्रस्तुत नहीं। |

निदेशक / स्वामियों की अन्य सभी इकायों का पूर्ण विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 24. | प्रस्ताव बोर्ड द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुरुप है या नहीं | मुख्यालय स्तर से प्रस्ताव का तकनीकी मूल्यांकन किया जाना उचित होगा। |
| 25. | जिला पर्यावरण समिति की आख्या व संस्तुति | लागू नहीं। |
| 26. | प्रस्तावित योजना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के कार्यान्वयन का समयबद्ध कार्यक्रम | प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबन्धन प्लान के अनुसार। |
| 27. | कार्यरत / सह इकाई द्वारा जल अधिनियम / वायु अधिनियम / उपकर अधिनियम के अन्तर्गत देय शुल्क के भुगतान की स्थितिः– | विवरण प्रस्तुत नहीं। |
| | अः सहमति शुल्क जलः– | लागू नहीं। |
| | देयता | |
| | बः सहमति शुल्क वायु | प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एन0ओ0सी0 शुल्क एवं आवेदन की मूल प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 671 / एन0ओ0सी0 40 / 2016 दिनांक 30.06.16 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। |
| | देयता | |
| | सः उपकर | |
| | देयता (प्रेषित बिल के समक्ष) | |
| 28. | अन्य विशेष उल्लेख | प्रस्तावक को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इकाई में योजना निर्माण कार्य हेतु भूजल प्रयोग किये जाने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की विशिष्ट शर्त आरोपित किया जाना उचित होगा। |
| | क्षेत्रीय कार्यालय की समिति की संस्तुति | उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये एन0ओ0सी0 आवेदन एवं संलग्नकों का तकनीकी मूल्यांकन / सत्यापन मुख्यालय स्तर से करने तथा परियोजना में प्रस्तावित एस0टी0पी0 व रैन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का तकनीकी आख्या प्राप्त करने के उपरान्त उक्त आवासीय परियोजना हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त की जाने वाली पर्यावरणीय स्वीकृति के अन्तर्गत आरोपित सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों के अनुपालन की शर्त के साथ पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है। |

(सत्य विजय) 1/7/16
अवर अभियन्ता

(उत्सव शर्मा)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0),

Recd 14/7/16

CEO 1 महोदय